रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस०एम० 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 1 अप्रैल, 1991/11 चैत्र, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 मार्च, 1991

संख्या 12-1/89-श्रम.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित रोजगार व्यवसायों में कार्यरत अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी रुपये 20/- प्रतिदिन या रुपये 600/- प्रतिमाह से बढ़ा कर रुपये 22/- प्रतिदिन या रुपये 660/- प्रतिमाह कर दी जाये :--

1. कृषि ।
2. भवन एवं सड़क क्रिया निर्माण और अनुरक्षण ।
3. पत्थर पिसाई/क्रशिंग/पत्थर तुड़ान ।
4. वन एवं काष्ठ क्रिया ।

5. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट ।
6. दुकाने तथा वाणिज्य संस्थान ।
7. रासायन तथा रासायनिक उत्पाद ।
8. इन्जिनियरिंग उद्योग ।
9. खाद्य एवं पेय पदार्थ ।
10. गलीचा व शाल बुनाई ।
11. वस्त्र एवं हौजरी उद्योग ।
12. कागज तथा कागज उत्पाद ।
13. ईंट भट्ठा उद्योग ।
14. लकड़ी पर आधारित तथा फर्नीचर उद्योग ।
15. चाय बागान ।
16. विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजन जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (के) में परिभाषित है ।
17. मद्य निर्माण शालाओं, शराब कारखानों और अन्य अनुसंगिक प्रचालनों जैसे बोतलें भरने में नियोजन ।
18. सीमैंट कारखानों तथा सीमैंट से बनने वाले अन्य उत्पाद में नियोजन ।
19. आरा मशीनों में नियोजन ।
20. निजि शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन ।

2. समान रूप से, उक्त सभी रोजगार व्यवसायों में कार्यरत अर्धकुशल, कुशल तथा उच्च-कुशल तथा अन्य श्रेणियों के मजदूरों की मजदूरी भी 10 प्रतिशत बढ़ाई जाये ।

3. इसके अतिरिक्त जो मजदूर जनजातीय क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में कृषि, भवन एवं सड़क क्रिया निर्माण और अनुरक्षण, पत्थर पिसाई/क्रशिंग/पत्थर तुड़ान और वन एवं काष्ठ क्रिया के रोजगार व्यवसायों में कार्यरत हैं उन्हें 25 प्रतिशत तथा $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत क्रमश : की बढ़ौतरी प्रस्तावित संशोधित न्यूनतम मजदूरी में दी जाएगी । जो मजदूर सुरंगों में कार्यरत है उन्हें पहले की तरह 20 प्रतिशत की बढ़ौतरी लगातार रहेगी ।

4. अत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अनुसरण में इस प्रस्ताव को उन व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित करते हैं जिन्हें उक्त प्रस्ताव से प्रस्तावित होने की सम्भावना/उक्त प्रस्ताव पर कोई आपत्तियां या सुझाव हों तो उसे श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 को इस प्रस्ताव के राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से दो महीने के भीतर भेजें ।

5. संशोधित दरें 1 अप्रैल, 1991 से लागू होंगी ।

आदेशानुसार,

पी0 आई0 सुवर्तन,
आयुक्त एवं सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित ।